APP-A

Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

केम्प कोर्ट– कानिया

सोहन लाल पिता सुवालाल शर्मा निवासी – कानियॉ बनाम दुर्गा पिता लादु खाती निवासी– कानियॉ

किस्म मुकदमा–ईजराय प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 07/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की तामील जारी हुए
21.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट में पेश हुई। न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 1753/2016 निर्णय दिनांक 17.04.2017 की पालना हेतु तहसीलदार हुरडा को लिखा जाने पर तहसीलदार हुरडा डिकी की पालना राजस्व रिकोर्ड में कर जमाबन्दी की प्रति जरिये पत्र कमांक राजस्व/2018/892 दिनांक 26.04.2018 से प्रस्तुत की गई , जो पत्रावली में संलग्न है । प्राप्त पालना रिपोर्ट का अवलोकन वकील डिकीदार को करवाया गया जिससे वह सन्तुष्ट होना जाहिर किया है । मैने भी प्राप्त पालना रिपोर्ट का अवलोकन किया । तद्नुसार डिकी पालना होना सुनिश्चित हुआ है । अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नही होने से पत्रावली शुमार फैशल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 21.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट कानिया में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गुलाबपुरा केम्प	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official